दिनांक 28-5-90

सिटी-बोर्ड (नगर-परिषद) जौनपुर की बैठक दिनांक 28-5-90 दिन सोमवार अपरान्ह 5-00 बजे श्री सीतारामयादव, अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल कार्यालय (हाल) में हुयी, जिसमें 23 सदस्य उपस्थित रहे, उनके नाम व कार्यवाही निम्न प्रकार है।

1. श्री सीतारामयादव — अध्यक्ष,
2. श्रीमती शान्ती देवी — नामित सदस्य,
3. श्री मुख्तार अहमद — सदस्य,
4. श्री दुल्लाल — "
5. श्री हाजी मो० सलीम — "
6. श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह — "
7. " मिठाईलाल — "
8. " वीरेन्द्र प्रतापयादव — "
9. " रामअभिलाषयादव — "
10. " सोमनाथ आर्य — "
11. " मिर्जा ज्यारत हुसेन — "
12. " अनसरजा उर्फ 'भइयाजी' — "
13. " राजेन्द्र प्रताप सिंह — "
14. " विद्यासागर सोनकर — "
15. " गजेशनाथ रावत — "
16. " डा० सुनील श्रीवास्तव — "
17. " दयाशंकर — "
18. " रविन्द्रप्रताप सिंह — "
19. " रमजान खां — "
20. " डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव. — "
21. " बाबूलाल गुप्त — "
22. " शिव कुमार गुप्त — "
23. " नजीर हुसेन — "
24. " कैलाशनाथ मौर्य. — "

[signature]
कार्यवाहक (ह०) वि०म० [illegible]
प्रभारी-अधिशासी-अधिकारी
सिटी-बोर्ड जौनपुर
28-5-90

सीताराम यादव
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड जौनपुर

विशेष प्रस्ताव :- दिनांक 28-5-90

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
1. सिटी-बोर्ड जौनपुर द्वारा नगर की सीमा में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु नियमावली बनाने के सम्बन्ध में म्युनिसिपल ऐक्ट 1916 की धारा 128 की उपधारा 1 के खण्ड 13वीं के साथ पठित धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त नियमावली के अन्तर्गत प्रत्येक अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के विक्रय मूल्य का 2% सिटी-बोर्ड जौनपुर में जमा कराने सम्बन्धी - नियमावली का पांडुलेख सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ।	सर्व सम्मति से स्वीकार। अग्रेतर कार्यवाई की जाय।

नरेन्द्र राय
कार्यवाहक उ०न० स्वा०अ०
प्रभारी- अधिशासी-अधिकारी,
सिटी-बोर्ड जौनपुर
28-5-90

सीताराम यादव
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 28.5.

विशेष प्रस्ताव

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
2. सिटी-बोर्ड जौनपुर के कर-आरोपण की अवधि बावत कर निर्धारण जो प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, जो गतवर्ष 1977-78 में हुआ था, तब से अब तक पालिका में कर निर्धारण न होने की दशा में पालिका की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है, को दृष्टिगत रखते हुये यू०पी० म्युनि० सिपैलिटीज ऐक्ट 1916 की धारा 141(2) एवं 145(1) में घोषित प्राविधानों नगर-पालिका (अब सिटी-बोर्ड) जौनपुर की सीमा में स्थित भवनों पर पंचवर्षीय कर पुनर्निर्धारण करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की स्वीकृति परिषद अनुमोदन हेतु।	प्रस्ताव पर चर्चा हुयी और सदन द्वारा अगले दो माह के लिये स्थगित किये जाने पर सहमति पायी गयी।

नरेन्द्र राय
कार्यवाहक व०न० ख०अ०
प्रभारी- अधिशासी-अधिकारी,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
28.5.90

शिवशंकर यादव
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
28-5-90

दिनांक 28-5-90

प्रस्ताव	निर्णय :-
1. पिछली बैठक दिनांक 2-4-90 की कार्यवाही वाली पुष्टि।	पिछली कार्यवाही की पुष्टि सम्बन्धी कार्यवाही को पढ़ने प्रारम्भ करने के पूर्व श्री रमजान खां, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा एक प्रश्न पत्र का ज्ञापन अध्यक्ष महोदय को दिया गया, जिसे अध्यक्ष महोदय ने स्वयं देखा और सभी सभासदों के अनुरोध पर अध्यक्ष की अनुमति से श्री महेशनारायण, परिषद लिपिक द्वारा उक्त प्रश्न पत्र को सदन में पढ़कर सुनाया गया, जिसमें यह सहमति पायी गयी कि जिन जिन प्रश्नों के उत्तर यहीं सदन पटल पर दिये जा सकते हैं, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाय, और जिन जिन प्रश्नों के उत्तर तत्काल सदन पटल पर दिये जाने संभव न हो, उसे विभागों से प्राप्त करके, उसके बारे में मान्य (प्रश्नकर्ता) सभासद को बताया जाय।
	डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव मान्य सभासद तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान पालिका सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों से

दिनांक 28.5.90

प्रस्ताव	निर्णय:-
	सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों के माह मार्च 90 के महीने में बिना हिन्दी समाहर्ता की स्वीकृति के भुगतान किये जाने के औचित्य को जानना चाहा, जो निर्माण लिपिक श्री बाबूराम यादव, के उस दिन अवकाश पर रहने के कारण, पत्रावलियां उपलब्ध न होने की स्थिति में, वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी, जिसके लिये सर्वाधिक सदस्यों ने असंतोष व्यक्त किया, और श्री बाबूराम यादव, निर्माण लिपिक से उस दिन अवकाश पर चले जाने के प्रति स्पष्टीकरण माँगा जाना तय पाया गया साथ ही भविष्य के लिए, सदन द्वारा उन्हें यह चेतावनी भी दिये जाने पर सहमति पायी गयी कि "बोर्ड की आगामी बैठकों में बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर न जाया करेंगे। यही निर्देश अन्य कर्मचारियों। अधिकारियों के लिये भी दिए जाने पर सहमति पायी गयी।
	चर्चा के दौरान मान्य समाहर्ता श्री अनसरजा ने

दिनांक, 20-5-90

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
	कहा कि पालिका कर्मचारी/अधिकारी प्रायः अपनी सीट से गायब रहते हैं, जिससे पालिका के कार्यों का समय से निस्तारण नही हो पाता। अध्यक्ष महो० ने कहा कि यदि इस प्रकार की कोई शिकायत हो तो, उसके सम्बन्ध में लिखित आख्या दिये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के प्रति विभागीय कार्यवाही की जायेगी। अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह भी अवगत कराया कि वे स्वयं समय समय पर आकस्मिक रूप से विभिन्न विभागों की उपस्थिति चेक किया करते हैं और बताया कि अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों के प्रति कार्यवाइयां की जाती हैं, यदि मान्य सभासद के ज्ञान में भी और कोई बात हो तो उसे लिखकर दिये जाने पर, उस पर उचित विभागीय कार्यवाही की जायेगी। श्री शोभनाथ आर्य, मान्य सभासद ने गत बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री कामेश्वरनाथ मिश्र, सफाई निरीक्षक के खिलाफ 16 मान्य सभासदों द्वारा हस्ताक्षरित

दिनांक 28.5.90

प्रस्ताव

निर्णय :—

शिकायती आवेदनपत्र पर जाँच के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही को जानना चाहा, पर अध्यक्ष ने बताया कि बोर्ड के ही निर्णयानुसार उक्त शिकायती प्रार्थनापत्र को वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी / उपजिलाधिकारी को जाँच हेतु दी गयी है, जिनकी जाँच आख्या अभी तक प्राप्त न होने के कारण, सदन पटल पर नहीं रखी जा सकी।

मान्य सभासद डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव ने निर्माण सम्बन्धी कार्यों के ठेकेदारों के माह 90 में किये गये, बिलों के भुगतान, जो बिना मान्य सभासदों की संस्तुति के ही, को दिए गये हैं, की छानबीन करके दोषी कर्मचारी / अधिकारी के प्रति स्पष्टीकरण मांगने तथा तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का अनुरोध किया। चर्चा के ही दौरान श्री बाबूलाल मान्य सभासद ने चुंगी की वर्तमान तथा गत 5 महीने की आय को जानना चाहा, जिसे, सदन में,

प्रस्ताव

निर्णय :-

उपस्थित कार्यवाहक चुंगी अधीक्षक द्वारा, अध्यक्ष की अनुमति से बताया गया। चर्चा के दौरान चुंगी नाका बस स्टेशन पर वसूली के लिये चुंगी मोहर्रिर को बैठने हेतु बनवाये गये लकड़ी की गुमटी की गुणवत्ता घटिया किस्म की होने के प्रति क्षोभ व्यक्त किया गया और स्पष्ट करने हेतु कार्यवाहक चुंगी अधीक्षक को कहा गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाहक चुंगी अधीक्षक श्री घाघ पाठक ने गुमटी के सम्बन्ध में बताया अध्यक्ष द्वारा उसे देखकर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

उपरोक्त प्रश्नोत्तर काल के पश्चात परिषद लिपिक श्री महेशनारायण द्वारा बोर्ड की गत बैठक दिनांक 2-5-90 की कार्यवाही पढ़ी गयी, के पश्चात मान्य सभासद श्री अनवरजा उर्फ भइया जी उक्त बैठक दिनांक 2-5-90 की बैठक में कतिपय प्रा० की धनराशि 360/- तीन सौ साठ रुपये से कम न किये जाने सम्बन्धी शासनादेश को

दिनांक 28.5.20

प्रस्ताव

निर्णय :-

मांग को लेकर, जिसे गत बैठक में माननीय सभासद द्वारा मांगे जाने के निर्णयानुसार का-अध्यक्ष श्री गोपी कृष्ण श्रीवास्तव, द्वारा उन्हे अवगत कराना था, का आधार लेते हुये का-अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव के प्रति अकर्मण्यता का आरोप लगाते हुये निन्दा का प्रस्ताव लाना चाहे, परन्तु इस पर सदन की सहमति नहीं पायी गयी, किन्तु श्री अनसरजा माननीय सभासद निंदा प्रस्ताव को पारित कराने हेतु अड़ गए जिसके कारण स्थिति कुछ तनाव-पूर्ण हो गयी और माननीय सभासद द्वारा का-अध्यक्ष के प्रति ~~अशोभनीय~~ कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके लिये अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सभासद श्री अनसरजा को यह समझाया गया कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के कोई आरोप सिद्ध हुये बिना, उन पर जबरदस्ती आरोप लगाना और उनके प्रति ~~अशोभनीय~~ कड़े शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुसार वर्जित है और अध्यक्ष

प्रस्ताव सं० 2 दिनांक 28-5-90

अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष,

वर्ष-1989-90 का वार्षिक लेखा आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है, जिसमें आय एवं व्यय पक्षों की प्रमुख मदों में वृद्धि एवं कमी का स्पष्टीकरण निम्नवत है।-

आयपक्ष की प्रमुख मदों की आय में कमी एवं वृद्धि का स्पष्टीकरण

वार्षिक लेखा-वर्ष 1989-90 के आयपक्ष में राजस्व विविध मद में वर्ष 1988-89 में 11,61,870=58 पैसे के स्थान पर वर्ष 1989-90 में 5,49,018=07पैसे हुई है। वर्षान्तरगत आय में कमी का मुख्य कारण यह है कि वर्ष 1988-89 में बैंक के खातों का मिलान कैश बुक से किया गया, जो अगस्त 1981 से नहीं किया गया था। खातों का मिलान करने पर रू0 6,99,209=00 की वह आय प्राप्त हुई, जो कैश बुक के आय पक्ष में अंकित ही नहीं की गई थी। यह आय खातों पर प्राप्त ब्याज तथा खातों में सीधे जमा की गई धनराशियाँ थीं, जो पासबुकों में अंकित थीं, परन्तु कैश बुक में अंकित नहीं थी। वह विविध मद में अंकित करने पर आय में वृद्धि अंकित है। वर्ष 1989-90 में इस मद में रू0 5,49,018=07पैसा अंकित है, जिसमें वर्षान्तर्गत आई.डी.एस.एमटी खाते से रू0 3,01,931=70पैसा उधार ली गई, जो विविध मद में अंकित है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के सामूहिक बीमा की केटौं तथा अन्य आय अंकित की गई है।

वर्ष 1989-90 में रू054,11,088=40पैसे अनुदान प्राप्त हुआ है। इन अनुदानों में रू0 25,00,000=00 सड़क अनुदान, रू050,000=00 प्रकाश व्यवस्था हेतु तथा शेष टोल ट्रांजिट क्षतिपूर्ति एवं सब्सीडी अंशदान सम्मिलित है। वर्ष 1988-89 में इस मद में रू031,51,972=79 आय हुई थी। इस वर्ष सड़क अनुदान मात्र 1,00,000=00 रूपया प्राप्त हुआ था।

वर्ष 1988-89 में रू0 9,50,000=00 ऋण आय में अंकित में है। यह ऋण आई.डी.एस.एम.टी.योजनान्तर्गत प्राप्त हुआ है तथा इस योजना का पृथक लेखा जोखा रखा जा रहा है।

व्यय पक्ष की प्रमुख मदों के व्यय में वृद्धि एवं कमी का स्पष्टीकरण:-

प्रकाश मद में वर्ष 1989-90 में रू0 4,10,220=60पैसा व्यय हुआ है। इसमें रू0 2,40,275=60का व्यय कर्मचारियों के वेतनादि पर तथा शेष रूपया- 1,69,945=00 प्रकाश व्यवस्था पर हुआ है, जिसमें बल्ब, राड, चोक, मरकरी लैम्प एवं अन्य विद्युत सामग्री तथा पेट्रो मेक्स पर हुए व्यय सम्मिलित हैं।

जलकल प्रतिष्ठान का व्यय वर्ष 1989-90 में रू03,99,875=75 हुआ है, जिसमें जलकल के अनुरक्षण पर व्यय हुआ है। इसमें मोटर, समरसेबुल, पाईप सामग्री, फिटकरी, ब्लीचिंग तथा पम्पों की मरम्मत पाईप लाईन स्टैण्डपोस्ट इत्यादि की मरम्मत आदि व्यय सम्मिलित है।

सफाई प्रासंगिक मद के अन्तर्गत वर्षान्तर्गत रू01,79,860=64पैसा व्यय हुआ है, जबकि आय-व्ययक में कुल रू0 1,75,000=00 व्यय का प्राविधान था। इस प्रकार प्राविधान की धनराशि से रू0 4860=64 अधिक व्यय हुआ है। यह व्यय अन्य मदों के अवशेष से समायोजित होगा

(-----2/)

Scanned with OKEN Scanner

इस मद के अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री के क्रय, वाहनों की मरम्मत, उपकरणों की मरम्मत एवं क्रय पर व्यय सम्मिलित है। व्यय प्राविधिक धनराशि से अधिक होने का मुख्य कारण विगत वर्ष के बिलों की अवशेष धनराशि का भी भुगतान तथा उपकरणों के उपयोग हेतु शासनादेशानुसार प्राप्त धनराशि से 40 हाथ ठेलों का व्यय किया गया है।

विधि व्यय वर्ष 1989-90 में कुल रू0 13,655=00 हुआ है, जबकि इस मद में मात्र रू0 15,000=00 प्राविधिक थी। परन्तु पुनरीक्षित आय व्ययक में यह धनराशि घटाकर रू0 10,000/- की गई थी। इस प्रकार इस मद में रू0 3,655/- अधिक व्यय हुआ है। पालिका पर या पालिका द्वारा यादर ~~बड़े~~ वादों के सम्बन्ध में अधिवक्ता के बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय हुआ है। व्यय की वृद्धि की स्वीकृति की आवश्यकता है।

विविध मद में व्यय वर्ष 1988-89 में 17,49,942=99पैसे अंकित है। इस व्यय में रू0 15,53,654/- से आई.डी.एस. एम.टी. का लेखा अलग किया गया। अत: पालिका की कैश बुक में व्यय इस मद में दिखाना पड़ा वर्ष 1989-90 में इस मद में कुल व्यय रू0 6,36,704=65 हुई है, जबकि इसमें रू0 2,01,931=70पैसे आई.डी.एस.एम.टी. का धन वापस किया गया है। शेष कर्मचारियों के सामूहिक बीमा के क्लेम के भुगतान तथा अन्य विविध भुगतान सम्मिलित है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष 1989-90 के आय व्ययक अनुसार कुल व्यय रू0 2,04,11,000/- प्राविधिक था, जबकि कुल व्यय रूपया-1,47,32,312=71 पैसा हुआ है। अत: कुल व्यय प्राविधिक व्यय के अन्तर्गत है। अत: सफाई प्रासंगिक मद में रूपया 4,860=64पै0 तथा विधि मद में रू0 3,655=00 प्राविधिक धनराशि से अधिक व्यय स्वीकार योग्य है।

(हस्ताक्षर) 21.5.90
लेखाकार,
सिटी बोर्ड, जौनपुर

(हस्ताक्षर)
अधिशासी अधिकारी,
सिटीबोर्ड, जौनपुर

सिटी बोर्ड-जौनपुर
वार्षिक लेखा-वर्ष 1989-90.

-आय-पक्ष-

मदका नाम	वास्तविक आय वर्ष-1988-89.	अनुमानित आय वर्ष-1989-90.	वास्तविक आय वर्ष-1989-90.
प्रारम्भिक अवशेष	5380719=27		
बिनावापसी पूंजी	5512426=72	2200000=00	1720575=30
गृहकर	328012=34	7200000=00	5729459=36
जलकर	538023=24	600000=00	379803=43
सिनेमा शो टैक्स	59789=00	800000=00	604020=98
पोस्टर टैक्स	71=00	200000=00	82149=00
कारपार्किंग	236142=50	--	--
पाउन्ड	--	250000=00	102069=00
हैकेनी कैरेजेज	49215=15	--	--
रेन्ट आदि	232415=99	100000=00	45187=47
तहबाजारी	202708=13	200000=00	151123=90
बधालय	6340=00	200000=00	158234=60
जलमूल्य	319712=26	50000=00	6668=00
मी0रेन्ट	20623=58	500000=00	154541=35
जलकल विविध	33317=22	25000=00	20971=05
शुल्क नकल	2852=33	100000=00	33607=61
लाईसेन्स ला0स्पीकर	3097=00	5000=00	3255=10
" " बैलगाड़ी	337=50	5000=00	4195=50
राजस्व विविध	1161870=58	5000=00	242=00
जुर्माना	65736=95	200000=00	549018=07
अनुदान(सामान्य)	3151972=79	100000=00	49350=95
विविध	--	5973510=00	5411088=40
ऋण-	950000=00	2000000=00	270000=00
स्थाई अग्रिम	--	--	--
जमानतें	23941=00	300=00	--
		50000=00	25278=00
योग:-(प्रा0अवशेष को छोड़कर)-	12898605=28	18563810=00	13780263=77
वृहद योग:--	18279324=55	20763810=00	15500839=07

लेखाकार, 21.4.90
सिटी बोर्ड, जौनपुर

अधिशासी अधिकारी, 26.4.90
सिटी बोर्ड, जौनपुर

अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड, जौनपुर

Scanned with OKEN Scanner

सिटी बोर्ड, जौनपुर - वर्ष-1989-90

व्यय-पक्ष

मद सं0 मद का नाम	वास्तविक व्यय वर्ष-1988-89	अनुमानित व्यय वर्ष-1989-90	वास्तविक व्यय वर्ष-1989-90
1- सा0प्रशासन	470459=50	485000=00	415137=20
2- कर संग्रह	1491074=51	0720000=00	567058=60
3- चुंगी संग्रह	--	1410000=00	1186384=25
5- वापसी कर	--	10000=00	--
7- पेंशन ग्रेच्युटी	--	100000=00	--
9- प्रकाश	495639=94	474000=00	410220=60
12अ-जलकल प्रतिष्ठान	436739=38	429000=00	399875=06
12ब-जलकल परिसम्पत्ति	--	100000=00	--
13-जलकल अधिष्ठान	1075254=39	1320000=00	1247949=85
16ए-सफाई अधिष्ठान	4863889=42	5934000=00	4977870=40
16बी-पशुआहार	--	40000=00	17431=30
16सी-सफाई प्रासंगिक	195921=59	175000=00	179860=64
17-सफाई कार्यालय अधि0	249683=41	671000=00	598034=78
18-अस्पताल	9761-50	15400=00	13645=70
20-वेक्सीनेशन	44189=20	51400=00	44936=60
21-डीजल/मोबिल (स्वास्थ्य)	146125=75	80000=00	57995=40
22-स्लाटर हाउस	50981=80	64000=00	60763=50
23-पाउन्ड	8592=00	17100=00	14047=35
25-पार्क (तरुपालन)	95978=75	120000=00	92452=60
26-पशु चिकित्सक	--	500=00	480=00
28-भवन निर्माण अधिष्ठान	411414=55	540000=00	460595=39
29-भवन	786834=96	1825000=00	538847=20
30-सड़कें	3561718=27	4550000=00	2523352=65
31 स्टोर	--	650000=00	145775=00
32-विद्यालय भवन	40812=67	25000=00	--
34-पुस्तकालय	24935=60	45000=00	34305=30
36-विशेष सहायक अनुदान	--	5000=00	--
41-छपाई	190268=00	75000=00	46960=00
41ए-विधि व्यय	28720=65	15000=00	13655=00
41बी-भविष्य निधि	242100=42	200000=00	31973=00
नजूल	710=00	5000=00	--
विविध व्यय	1749942=99	230000=00	636704=65
ऋण वापसी	--	25000=00	--
51-वापसी जमानत	87000=00	10000=00	16000=00
योग व्यय-	16558749=25	20411000=00	14732312=71
इतिशेष	1720575=30	352410=00	768526=36
वृहद योग:---	18279324=55	20763810=00	15500839=07

लेखाकार,
सिटी बोर्ड, जौनपुर

अधिशासी अधिकारी,
सिटीबोर्ड, जौनपुर

अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड, जौनपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव	निर्णयः-
	द्वारा उन्हें पुनः समझाया गया कि भविष्य में पालिका के किसी कर्मचारी/अधिकारी के प्रति अशोभनीय शब्दों का प्रयोग न किया करें। अन्त में बोर्ड की कार्यवाही दिनांक 2-5-90 की कार्यवाही सदन द्वारा पुष्ट की गयी।
2. सिटी-बोर्ड जौनपुर का वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्यय का वार्षिक लेखा विवरण का वास्तविक आय व व्यय परिषद के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु।	पढ़ा गया, स्वीकार किया जाता है।
3. सिटी-बोर्ड जौनपुर का वित्तीय वर्ष 1989-90 के माह मार्च 90 का मासिक आय-व्यय लेखा विवरण पत्रादि परिषद के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु।	पढ़ा गया, स्वीकार किया जाता है।
4. सिटी-बोर्ड जौनपुर का वित्तीय वर्ष 1990-91 के माह अप्रैल 90 का मासिक आय व्यय लेखा विवरण पत्रादि परिषद के अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	पढ़ा गया, स्वीकार किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 28.5.90

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
5. पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य हेतु दैनिक मजदूरी पर रखने गये 25 स्वच्छकारों का कार्यकाल 1.6.90 से 31.7.90 तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी स्वास्थ्य विभागीय आख्या मय अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति परिषद अनुमोदन हेतु।	श्रीराजेन्द्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने 25 दैनिक वेतन के स्वच्छकार कर्मियों को हटाने का सुझाव दिये, जिस पर विभिन्न सभासदों ने अपनी अपनी बातें कहीं, किन्तु बात पर कोई निर्णय न होने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से लाये जाने का सुझाव दिया गया अंततोगत्वा 25 दैनिक वेतन के स्वच्छकारों को मात्र एक माह यानी 1.6.90 से 30-6-90 तक, पूर्व स्वीकृत दर 15/- प्रतिदिन, रखे जाने पर सहमति पायी गयी।
6- पालिका सफाई विभाग में तीन ट्रैक्टरों पर 9 सफाई कोलदार स्वच्छकार कर्मचारियों को स्वीकृत दैनिक वेतन रु 15/- पर रखे जाने की स्वीकृत अवधि 1.6.90 से 31.7.90 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभागीय आख्या मय अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुतियों के साथ परिषद के अनुमोदन हेतु।	दिनांक 1.6.90 से 30-6-90 तक स्वीकार।

दिनांक 20.5.90

प्रस्ताव	निर्णय
7. पालिका जलकल विभागीय जलकूपों के संचालन हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन रु 20/- पर रखने गये 39 पम्प आपरेटरों का कार्यकाल 1.6-90 से 31.7.90 तक बढ़ाये जाने को जलकल विभागीय आख्या मय अधिशासी-अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति के साथ परिषद के अनुमोदन हेतु।	दिनांक 1.6.90 से 30-6-90 तक स्वीकार।
8. पालिका जलकल विभाग की पाइप लाइनों के रख-रखाव हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन रु 15/- पर रखने गये 6 बेलदारों का कार्यकाल दिनांक 1.6-90 से 31.7.90 तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी जलकल विभागीय आख्या मय अधिशासी-अधिकारी, व अध्यक्ष की संस्तुति के साथ परिषद अनुमोदन हेतु।	दिनांक 1.6.90 से 30.6.90 तक स्वीकार।
9. पालिका प्रकाश विभाग में विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में स्वीकृत दैनिक वेतन रु 20/- पर रखने गये एक मिस्त्री का कार्यकाल 1.6-90 से 31.7.90 तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रकाश-विभागीय आख्या मय अधिशासी-अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति के साथ परिषद के अनुमोदन हेतु।	दिनांक 1.6.90 से 30-6-90 तक स्वीकार।

दिनांक 28.5.9

प्रस्ताव	निर्णय
10. पालिका प्रकाश विभाग स्टोर के बिजली के पुराने सामान राड, चोक, स्टार्टर, होल्डर, बल्ब आदि जो बेकार पड़े हैं, की नीलामी कराये जाने सम्बन्धी प्रकाश विभागीय आख्या मय अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति परिषद अनुमोदनार्थ।	प्रकाश कमेटी के माध्यम से नीलामी की कार्यवाही की जाय।
11. सिटी बोर्ड जौनपुर कार्यालय के दक्षिणी गेट के पास पुराने रिक्शा स्टैण्ड के स्थान पर दुकान निर्माण तथा रिक्शा स्टैण्ड को मछलीशहर की ओर जाने वाली सड़क के किनारे निर्माण कराने के सम्बन्ध में व्यय अनुमान 12 दुकानों के सम्बन्ध में रु 2,23,010=00 (दो लाख तेईस हजार दस रूपये) परिषद अनुमोदन हेतु।	सर्व सम्मति से स्वीकार। अगली कार्यवाही की जाय।
12. सिटी बोर्ड जौनपुर सब्जी-मंडी, स्थित स्टेशन रोड की, पटरी पर दुकानों के निर्माण हेतु रु 3,19,600/- (तीन लाख उन्नीस हजार छः सौ रूपये) का व्यय अनुमान परिषद अनुमोदनार्थ।	सर्व सम्मति से स्वीकार, अगली कार्यवाही की जाय।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 28.5.90 84

प्रस्ताव :- निर्णय :-

अध्यक्ष की अनुमति से;

पूरक कार्य सामग्री :-

1. कर विभागीय आख्या बावत तहबाजारी स्टैक को दैनिक वसूली में वृद्धि के लिये दैनिक मजदूरी पर 1.5.90 से लगाये गये 4 तहबाजारी मोहर्रिर को 6.20/- दैनिक मजदूरी पर रखने के सम्बन्ध में कर-अधीक्षक अधिशासी-अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुतियों सहित परिषद अनुमोदन हेतु

सर्वसम्मति से 1.5.90 से 30-6-90 तक के लिए स्वीकार।

नरेन्द्र राय
कार्यवाहक व०न०स्वास्थ्य अधि०,
प्रभारी - अधिशासी-अधिकारी,
सिटी-बोर्ड-
जौनपुर
28-5-90

[signature]
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड-
जौनपुर
28.5.90